न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 40/2015

प्रार्थीगण

1.भंवरी देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी आशाराम जाति माली साखला निवासी राठौडी कुआ नागौर वर्तमान निवासी 1–90/2/सी/4 प्लोट नं.56 विनायक नगर माधोपुर हैद्राबाद

2 प्रवीण कुमार पुत्र धर्मसिंह उर्फ धर्माराम जाति माली गेहलोत

3 पवन पुत्र धर्मसिंह उर्फ धर्माराम जाति माली गेहलोत

4 हेमत पुत्र धर्मसिंह उर्फ धर्माराम जाति माली गेहलोत समस्त निवासी चेनार वर्तमान निवासी 1–90/2/सी/4 प्लोट नं. 56 विनायक नगर माधोपुर हैद्राबाद सभी वादीगण जरिये आम मुख्त्यार रमेश कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति माली गेहलोत निवासी चेनार बास भीकला जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1.केशर पत्नि स्व. पापालाल जाति माली

2 गीता पुत्री स्व. पापालाल पत्नी चोलाराम जाति माली कच्छावा वर्तमान निवासी 14.3.114/1गोशा महल हैद्राबाद

3 सत्यनारायण दत्तक पुत्र स्व. पापालाल जाति माली गेहलोत

4 अर्जुनराम पुत्र हजारी जाति माली

5 दूधाराम पुत्र अर्जनराम जाति माली गेहलोत निवासी चेनार

6.गुलाबी पुत्री अर्जुनराम पत्नी भंवरलाल जाति माली भाटी निवासी इन्दिरा कॉलोनी एफ.सी.आई. गोदाम के पीछे नागौर

7. पुखराज पुत्र रामचन्द्र जाति माली

8. अशोक पुत्र पुखराज जाति माली

9.अभिषेक पुत्र पुखराज जाति माली निवासीगण चेनार तहसील व जिला नागौर

10. किरण पुत्री पुखराज पत्नी अनिल जाति माली निवासी बड़ की बस्ती चेनार

11. कविता पुत्री पुखराज पत्नी सुरेश जाति माली निवासी चेनार बास अतुसर तहसील व जिला नागौर

12. धर्माराम उर्फ धर्मसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी चेनार वर्तमान पता 1–90/2/सी/4 प्लोट नं. 56 विनायक नगर माधोपुर हैदराबाद

13. माडीदेवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी बडली नागौर

14. जांवतरी पुत्री रामचन्द्र पत्नी जंवरीलाल जाति माली

15. छोटी पुत्री रामचन्द्र पत्नी भोपालराम जाति माली निवासी ग्राम रोल तहसील जायल

16. घेवरी पुत्री रामचन्द्र पत्नी मूलचंद जाति माली

17. महेशचंद पुत्र चोलाराम जाति माली हाल निवासी 14.3.114/1 गोशा महल हैदराबाद

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

(SDO) नागौर

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 40/2015
भंवरी देवी बनाम केशर

पेज संख्या 2

आवेदन पत्र अधीन धारा 212 राज. टिनेन्सी अधिनियम एवं
आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

आदेश

दिनांक :- 16/1/18

प्रार्थीगण द्वारा निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि वादी संख्या 1 स्व. रामचन्द्र जी की पुत्री तथा वादी संख्या 2 से 4 स्व. रामचन्द्र जी के पुत्र स्व. धर्माराम उर्फ धर्मसिंह के पुत्रगण है। प्रतिवादी संख्या 4 वादी संख्या 1 का चाचा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 प्रतिवादी संख्या 4 का पुत्र पुत्री है। प्रतिवादी संख्या 11 से 14 वादी संख्या 1 की बहने एवं स्व. रामचन्द्र की पुत्रीयां है। प्रतिवादी संख्या 7 वादी संख्या 1 की बहने एवं स्व. रामचन्द्र की पुत्रीया है। प्रतिवादी संख्या 7 वादी संख्या 1 का भाईव 8 से 10 उसकी संताने है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 1 का चाचा स्व. पापालाल की पत्नी, प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 एवं स्व. पापालाल को गोदशुदा पुत्र है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 स्व. पापालाल की पुत्री है।

यह है कि ग्राम हरीमा मे स्व.रामचन्द्र के खातेदार के निम्नानुसार खेत थे– खसरा नं. 182 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 185 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 188 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 189 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 485 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 486 13 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 533 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 701 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 703 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 704 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं.706 रकबा 10 बीघा3 बिस्वा, खसरा नं. 708 रकबा 10बिस्वा खसरा नं. 709 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा130 बीघा 04 बिस्वा थे। उक्त सभी खेता पर तत्कालीन जागीरदार से लेकर टिनेन्सी अधिनियम प्रभावशील हुआ तब भी वादी बहैसियत काश्तकार काबिज था इसलिये इन खेतो बहैसियत काश्तकार के काश्त करना स्व. रामाचन्द्र ने शुरू किया था। सवत् 2012 मे जब राजस्थान मे स्व. रामचन्द्र को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। खेत खसरा नं. 533 को स्व. रामचन्द्र ने अपनी निजी धनराशि से स्व. हिम्मतसिंह पुत्र भगसिंह से जरिये विक्रयपत्र दिनांक 5.4.1993 के रूपये 25 मे कय किया था। इस प्रकार ग्राम हरीमा केउक्त सभी खेत स्व. रामचन्द्र के स्व अर्जित खेत थे।

यह है कि, ग्राम फागली मे खेत खसरा नं. 45 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा,खसरा नं. 46रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 47 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 48 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 49 रकबा 1बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 50 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 53 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 51 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा, तथा खसरा नं. 56 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा स्व. रामचन्द्र प्रतिवादी संख्या 4 अर्जुनराम तथा स्व. पापालाल उर्फ बाबू के नाम के संयुक्त खातेदारी के थे।

(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 40/2015
भंवरी देवी बनाम केशर

यह है कि, ग्राम चैनार मे खेत खसरा नं. 167 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा स्व. हजारी के नाम से खातेदारी मे था जिसका वर्तमान मे खसरा नं. 179 रकबा 04 बिघा 10 बिस्वा बना इसलिये हजारी की मृत्युहोने पर उनके तीनो पुत्र स्व. रामचन्द्र, प्रतिवादी संख्या 4 अर्जुनराम तथा स्व. पापालाल की खातेदारी के हो गये।

यह है कि, वादग्रस्त खेतो मे स्व. रामचन्द्र की उत्तराधिकारी वादीसंख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 7,12,13,14,15 एवं 16 होने से उनको भी उत्तराधिकार के द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये तथा वादग्रस्त खेतो मे से प्रतिवादी पुखराज तथा धर्माराम उर्फ धर्मसिंह के पैतृक सम्पति होने से तथा सहदायिकी के सदस्य वादी संख्या 2 से 4 तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 11 को भी सहदायिकी सदस्य होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये । इसलिये वादीगण को वाद पेश करने का अधिकार है तथा प्रतिवादी संख्या 7,12,13,14,15 एव 16 को वादी पक्षकार बनाया गया है।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 केशरदेवी तथा प्रतिवादी संख्या 3 सत्यनारायण ने एक राजस्व वाद संख्या 209/94 प्रतिवादी संख्या 4 अर्जुनराम, प्रतिवादी संख्या 7 पुखराज वादी संख्या 2 से 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 11 धर्माराम प्रतिवादी संख्या 2 गीता तथा पेमाराम के रूद्व खेतो का बंटवाडा व घोषणा का वाद पेश किया। वाद मे निर्णय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 से 16 को उनके सहखातेदार होते हुए बिना उनको पक्षकार बनाये उनकी अनुपस्थिति मे पारित किया गया इसलिये उक्त निर्णय अवैध व शून्य है। उक्त निर्णय एवं डिक्री को नजरअंदाज करते हुए अपने हितो की घोषणा एवं विभाजन करवाने के वादीगण अधिकारी है।

यह है कि, वाद पत्र के अनु. संख्या 2 मे वर्णित सभी खेत ग्राम हरीमा मे स्व. रामचन्द्र जी क खातेदारी के होने से वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 15 के संयुक्त खातेदारी के घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है। जिनमे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कोई हित या हिस्सा नही है। वादपत्र के अनु. 2 मे दियागया जिनका कुल क्षेत्रफल 151 बीघा 03 बिस्वा उनमेवादी सं0 1 का 1/7 वादी संख्या 2 से 7 का 1/7 हिस्सा होना घोषित करवाया जावे तथा प्रतिवादी सं0 8,9 एवं 10 का सयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 12,13,14 एव 15 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा होना घोषित करवाने के अधिकारीहै।

यह है कि, वाद पत्र के अनु. 3 व 4 मे वर्णित सभी खेतो मे स्व. रामचन्द्र प्रतिवादी संख्या 4 अर्जुनराम तथा स्व. पापालाल का 1/3 हिस्सा था व रह जिस प्रकार से वादी सं0 1 से 4 तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 14 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 से 3 का 1/3हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 4 से 6 का 1/3हिस्सा घोषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त वाद संख्या 209/94 के आधार पर जिन जिन खेतो पर प्रतिवादी संख्या 1 से4 द्वारा कब्जा कर लिया हैउनमेप्रतिवादीसंख्या1 से 6 तथा 17 का कब्जा हटाकर कब्जा वादीगण तथा प्रतिवादीसंख्या 7 से16 को दिलाया जाने हेतु यह आवेदन पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या एक श्रीमति केशर अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमति गीता व अप्रार्थी संख्या 17 श्री महेशचन्द की ओर से निम्न जवाब प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, आवेदन पत्र कीमद संख्या 1 मे दर्ज

(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 40/2015
भंवरी देवी बनाम केशर

तथ्य इस प्रकार ह कि प्रार्थीगण ने उक्त अनवान का एक वाद न्यायालय हाजा के समक्ष अवश्य पेश किया लेकिन ठोस तथ्यो पर आधारित नही होने से सफलता मिलने की कोई उम्मीद नही है।

आवेदन की मद संख्या 2 मे जो पारिवारिक स्थिति बतायी है वह गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने इस फिकरा मे पारिवारिक स्थिति सही नही लिखी है। सत्यनारायण को पापालाल के गोद जाना दर्शाया है जो बिलकुल ही गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी श्रीमति केशर को को धोखे मे रखकर उससे गोदनामा पर अगूंठे अवश्य करवा लिये गये तथा उसकी अनभिज्ञता मे कागजी गोदनामा आवष्य करवाया गया है जिसको निरस्त करवाने हेतु अपरजिला एवं न्यायालय नागोर मे दीवानी आवेदन कर रखा है जो विचाराधीन है।

आवेदन पत्र की मद संख्या 4 मे ग्राम फागली के सरहद मे स्थित खेताय का उललेख किया ह जिसमे तीनो भाई रामचन्द्र, पापालाल व अर्जुनराम की खातेदारी का उल्लेख किया हैजिसमे 1 व 2 का कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग है।

आवेदन पत्र की मद संख्या 5 मे ग्राम चेनार मे स्थित खेताय का उल्लेख किया ह जिसमे तीनो भाईयो की संयुक्त खातेदारीका उल्लेख ह जिस पर 1/3 हिस्सा स्व. पापालाल का है जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग हक अधिकार है।

आवेदन पत्र की मद संख्या 7 मे केशर देवी द्वारा आवेदन करने का उल्लेख किया है जो आवेदन सत्यनारायण ने केशर देवी को धोखा देकर गलत रू‌ से गोद पुत्र बनकर जमीन हडपने की नीयत से करवाया था इसलिये इस फिकरा मे वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है।

आवेदन पत्र की मद संख्या 7 के उपबिन्दू 3 मे वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। खेत खसरा नं. 188 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा खसरानं. 189 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा खसरा नं. 485 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 533 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा सरहद हरीमा अकेले स्व. पापालाल के हक अधिकार की भूमि रहती चली आयी है। इन खेताय मे गलत रूप से अप्रार्थी सत्यनारायण ने अपने आपको केशर के गोद बताकर अपना नाम डलवाया है जो बिलकुल ही गलत है इस सम्पूर्ण भूमि 30 बीघा 18 बिस्वा पर कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग स्व. पापालाल के जीवन काल से ही पापालाल के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का रहता चला आया है। जिसमे से श्रीमति केशर मे 1/2 हिस्सा दिनांक 22.5.2012 को अप्रार्थी संख्या 17 महेशचन्द के पक्ष मे अफल की राशि लेकर विकय पत्र करवा दिया है। तथा विकय पत्र के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमद दरामद किया जा चुका है। इसलिये श्रीमति केशर के स्थान पर इस 30 बीघा 18 बिस्वा मे 1/2 हिस्से का सदभाविक केता होने से अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 17 महेशचन्द सहखातेदार हो गया है तथा शेष हिस्से के तमाम खातेदारी अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के है।

आवेदन पत्र की मद संख्या 8 के उपबिन्दू क मे वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है खसरा नं0 188, 189,485 व 533 कुल रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा मौजा हरिमा केवल मात्र पापालाल के हक अधिकार कब्जा काश्त की भूमि रहती चली आयी है जिसमे से 1/2 महेशचन्द को विकय कर दिया है शेष 1/2 हिस्सा स्व. पापालाल की विधवा पत्नि केशर एवं पुत्री गीता के स्वामित्व की

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

है इसमे सत्यनारायण के गोद पुत्र बताते हुये केशर को धोखे मे रखकर अपना नाम डलवाया है राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती कर सत्यनारायण का नाम हटवाया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

बहस वकुलाय सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस समर्थन मे आर आर डी 2013 पृष्ठ 482 (एच.सी.) आर आर डी 2010 पृष्ठ 120,108,96 आर आर डी 2009 पृष्ठ 29 प्रस्तुत कर मेरा ध्यान इंगित करवाया अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस के समर्थन मे कोई न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत नही किये है। वकुलाय ने अपने आवेदन पत्र एवं जवाब आवेदन पत्रो के तथ्यो पर बल दिया।

स्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे निम्न तीन बिन्दूओ पर विश्लेक्षण किया जाना है–

1. प्रथमदृष्टया मामला
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूर्णीय क्षति होना

प्रथम दृष्टया मामला –वादग्रस्त खेताय स्व0 रामचन्द्र के स्व अर्जीत खेताय है प्रार्थीया स्व0 रामचन्द्र की पुत्री है। स्व0 रामचन्द्र के उत्तराधिकारी प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 7,12 से 16 स्व0 रामचद्र के उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त खेताय मे इनको भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। जहां तक राजस्व वाद संख्या 209/94 निर्णय दिनांक 22.3.1997 के संबध मे स्व0 रामचन्द्र की बलि राजा एवं धर्माराम एवं श्रीमति गीता वगैरह के द्वारा इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत करना बताया है। उक्त संबध मे प्रार्थी वकील ने यह कथन किया की उक्त इकबाली जवाबदावे मे उपरोक्त पक्षकारान के हस्ताक्षर नही है। तथा उक्त वाद मे प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण 5 से 16 को पक्षकार ही नही बनाया गया था। इसलिये उक्त निर्णय एवं डिक्री से प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 से 16 बाध्य नही है। वादग्रस्त खेताय स्व0 रामचन्द्र जी के स्व अर्जीत खेताय होने से प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित रहता चला आया है। पक्षकारान के मध्य राजस्व वाद विचाराधीन है। जिसमे बाद शहादत सबूत के निर्णय होना शेष है। उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है।

सुविधा का संतुलन–वादग्रस्त खेताय स्व0 रामचन्द्र के स्व अर्जीत खेताय है। प्रार्थीगण स्व0 रामचन्द्र जी के वारिसान है। जिससे स्व. रामचन्द्र के स्व अर्जीत खेताय मे प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित रहता है। अगर प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से से महरूम कर दिया जायेगा तो प्रार्थीगण के द्वारा वाद प्रस्तुत करने एवं खोतेदारी प्राप्त करने का अधिकार ही समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति – प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है। वादग्रस्त खेताय स्व. रामचन्द्र के स्व. अर्जीत खेताय होने से एवं उक्त खेताय मे प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा भी निहित रहने से एवं वादग्रस्त खेताय मौजा हरिमा का प्रार्थीगण के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रबल रहती है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का आवेदन पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का स्वीकार किया जाकर मौजा हरिमा के हाल खसरा नम्बर 182 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा खसरा नं.

सहायक कलक्टर
(SDO) नोहर

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 40/2015
भंवरी देवी बनाम केशर

पेज संख्या 6

185 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 188 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 189 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 485 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 486 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 533 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 701 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 703 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 704 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं.706 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 708 रकबा 10बिस्वा खसरा नं. 709 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 130 बीघा 04 बिस्वा पर वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे हस्तेक्षप नही करने व न अन्यो से करवाने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 व 17 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किये जाते है।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.)नागौर

आदेश आज दिनांक 16/1/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) नागौर

Scanned by CamScanner